

नाम प्रेमराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पेमाराम पुत्र लिखमाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा सिलारिया के खाता संख्या 197 के खसरा नम्बर 359 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 774/356 रकबा 1.7483 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 786/782 रकबा 0.9388 हैक्टेयर की जमा बर्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम पेमाराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर प्रेमराम पुत्र लिखमाराम भूलं वंश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह तार्किक होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकॉर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकॉर्ड दुरुस्ती से सुलभता रहेगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा सिलारिया के खाता संख्या 197 के खसरा नम्बर 359 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 774/356 रकबा 1.7483 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 786/782 रकबा 0.9388 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार प्रेमराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर पेमाराम उर्फ प्रेमराम पुत्र लिखमाराम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश : —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता मौजा सिलारिया के खाता संख्या 197 के खसरा नम्बर 359 रकबा 0.3966 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 774/356 रकबा 1.7483 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 786/782 रकबा 0.9388 हैक्टेयर में दर्ज प्रेमराम पुत्र लिखमाराम के स्थान पर पेमाराम उर्फ प्रेमराम पुत्र लिखमाराम दुरुस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर में से बैंक के रहन खसरा नम्बर का रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक 18/02/25 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



(सहायक कलक्टर)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)